

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2711

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बॉर्डर होम गार्ड्स के लिए प्रतिपूर्ति

2711. श्रीमती संजना जाटव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011-12 से 2014-15 तथा 2019-20 से 2023-24 के दौरान बॉर्डर होम गार्ड्स पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार को 130.81 करोड़ रुपये के बकाया दावों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लागत-भागीदारी पद्धति के अनुसार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से 2020-21 की अवधि के दौरान बॉर्डर होम गार्ड्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावे पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और राज्य को इन दावों के एवज में कुल ₹113.50 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा इस कारण नहीं किया गया है क्योंकि केंद्रीय सरकार द्वारा गृह रक्षकों पर प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया था।
